	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 18, गुरूवार, *शाके* 1943–अप्रेल 8, 2021 *Chaitra 18, Thursday, Saka 1943- April 8, 2021*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 8, 2021

संख्या प.2(3)विधि/2/2021.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 अप्रेल, 2021 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 4)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 अप्रेल, 2021 को प्राप्त हुई)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में,-

(i) विद्यमान उप-खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii) नगरपालिक प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले, नगरपालिक बोर्ड के मामले में छह व्यक्ति, नगर परिषद् के मामले में आठ व्यक्ति और नगर निगम के मामले में बारह व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये:";

(ii) परन्तुक के विद्यमान उप-खण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) के अधीन नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद् और नगर निगम प्रत्येक में नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में एक दिव्यांग व्यक्ति सम्मिलित होगा;"।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 24 के विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.- खण्ड (xvii) के प्रयोजन के लिए,-

(I) किसी एकल प्रसव से जन्मी हुई सन्तानों की किसी भी संख्या को एक ही माना जायेगा और दत्तक में दी गयी किसी संतान को संतानों की संख्या की गणना करते समय अपवर्जित नहीं किया जायेगा; और

(II) संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से जन्मी हो और दिव्यांगता से ग्रस्त हो और इस प्रयोजन के लिए, शब्द "दिव्यांगता" में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की दिव्यांगता सम्मिलित होगी।"।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 8, 2021

No. F. 2(3)Vidhi/2/2021.- In pursuance of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Nagarpalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (2021 Ka Adhiniyam Sankhyank 4):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2021

(Act No. 4 of 2021)

(Received the assent of the Governor on the 6th day of April, 2021)

An
Act

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In clause (a) of sub-section (1) of section 6 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing sub-clause (ii), the following shall be substituted, namely:-

"(ii) six persons in case of Municipal Board, eight persons in case of Municipal Council and twelve persons in case of Municipal Corporation, having special knowledge or experience in municipal administration, to be nominated by the State Government by notification in the Official Gazette:";

(ii) after the existing sub-clause (iii) of the proviso, the following new sub-clause shall be added, namely:-

"(iv) the number of persons to be nominated each in Municipal Board, Municipal Council and Municipal Corporation under sub-clause (ii) of clause (a) shall include one person with disability;".

3. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing Explanation to section 24 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**Explanation.-** For the purpose of clause (xvii),-

(I) any number of children born out of a single delivery shall be deemed to be one entity and any child given in adoption shall not be excluded while computing the number of children; and

(II) while counting the total number of children a child born from earlier delivery and having disability shall not be counted and the word "disability" for this purpose, shall include any type of disabilities specified in or under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016).".

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।